"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 22सी के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) (क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;
द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;
तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा.

(ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है."

No. 367/Fin./Rule/IV/2020.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 22 C, the following shall be substituted, namely :—

"(1) (a) The following stipend shall be payable to the Government Servant selected on the posts of direct recruitment during the probation period of three years :—

First year — 70 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Second year — 80 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Third year — 90 percent of the minimum of the pay scale of the post;

Provided that during probation period, other allowances along with stipend shall be received as a Government Servant.

(b) On confirmation in the service or post after the expiry of the period of probation, the pay of the Government Servant shall be fixed at minimum in the time-scale applicable of the service or the post.

(c) The Government Servant selected on the posts of direct recruitment also includes the appointment of selected candidates through Chhattisgarh Public Service Commission."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.